न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्र0नं0 – 32/2023

प्रार्थीगण : –

1. नवीन पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गणेशपुराबास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र मंगलदास जाति स्वामी निवासी गणेशपुराबास भादरा।
2. भगतराम पुत्र तेलदास जाति स्वामी निवासी गणेशपुराबास भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :–श्री विनोद पूनियां प्रार्थी
श्री उम्मेद मोठसरा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 28-12-2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 बारानी भादरा के खाता संख्या 103/102 के मु0न0 48 के किला नं0 8/3, 8/4, 11, 12, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2 की कुल 2.372है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी के चिपते ही चक 8 बारानी भादरा के खाता संख्या 224/207 के मु0न0 49 के किला नं0 21 ता 25 की 1.265है0 बारानी खातेदारी अप्रार्थी रामेश्वर पुत्र मंगलदास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 बारानी के ही खाता संख्या 141/297 के मु0न0 45 के किला नं0 16, 17, 24 मु0न0 49 के किला नं0 3, 4, 7 ता 20 मु0न0 69 किला नं0 17 कुल 5.060है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी भगतराम पुत्र तेलदास के नाम से खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी चक 8 बारानी भादरा के मु0न0 48 के कि0नं0 11 में प्रवेश करने के लिए चक 8 बारानी के मु0न0 65 के किला नं0 2 में स्थित रास्ता से होकर अप्रार्थी रामेश्वरलाल की चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 22 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़कर चालीस फिट चोड़ाई में दक्षिण से उत्तर के लिए एवं अप्रार्थी भगतराम की चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 19 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़ते हुये 40 फिट चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की तरफ एवं मु0न0 49 के किला नं0 11 ता 15 प्रत्येक किला में दक्षिण तरफ चालीस फिट चोड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने के लिए सदामत से बना हुआ है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज नहीं है। प्रार्थी के आवागमन में अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आये दिन रुकावट बाधा डालते है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित हते है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत कराने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन लब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 2 ने आपसी हमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया के प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के लिए अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है। मुताबिक राजीनामा उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन है जिस पर वकील अप्रार्थी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 22 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़कर चालीस फिट चोड़ाई में दक्षिण से उत्तर के लिए एवं अप्रार्थी भगतराम की चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 19 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़ते हुये 40 फिट चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की तरफ एवं मु0न0 49 के किला नं0 11 ता 15 प्रत्येक किला में दक्षिण तरफ चालीस फिट चोड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने के लिए निवेदन किया है। जिसके लिए अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर सहमती प्रकट की है। उक्त रास्ता के बदले पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का लेनदेन ना होना और रास्ता की एवज में भूमि लेना स्वीकार नहीं किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 22 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़कर चालीस फिट चोड़ाई में दक्षिण से उत्तर के लिए एवं अप्रार्थी भगतराम की चक 8 बारानी के मु0न0 49 के किला नं0 19 में पश्चिम तरफ 44 फिट जगह छोड़ते हुये 40 फिट चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की तरफ एवं मु0न0 49 के किला नं0 11 ता 15 प्रत्येक किला में दक्षिण तरफ चालीस फिट चोड़ा रास्ता पश्चिम से पूर्व की तरफ रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 28-12-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़